

धारा 25 : कठिनाईयों को दूर करना

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, परिषद की सिफारिशों पर राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों से असंगत न हों, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ¹[पांच वर्ष] की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
-

¹ वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) द्वारा "तीन वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 4/2020-एकीकृत कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया।